भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये RUPEES

DD 069368

किस्म दस्तावेज - बैनामा ।

विक्रीत कीमत - 5,50,000/- रुपया ।

स्टाम्प मालियती - 15,06,000/- रुपया ।

स्टाम्प - 1,50,600/- रुपया ।

सर्किल रेट - 92,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर ।

विक्रीत आराजी कृषि आराजी है और कृषि कार्य हेतु ही विक्रय की जा रही है और जो मुख्य मार्ग से एक किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है ।

विक्रेता:- प्रदीप सिंह व हरदीप सिंह व रंजीत सिंह व विश्वनाथ व देवेन्द्र समस्त पुत्रगण स्व० श्री प्रताप सिंह निवासी ग्राम बमटा तहसील व जिला आगरा।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

D 069369

प्रदीप मार्कण्ड

20 JUN 2005

कोषाधिकारी; आगरा

TRY

- 2 -

क्रेता:- मुस्कान बिल्डवैल प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय करौलबाग नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यशवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी सोहा नगर कालिन्दी नगर आगरा ।

चूँकि एक किता आराजी वाके मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा खाता नम्बर 255 खसरा नम्बर 896 रकबा 0.5020 हैक्टेयर लगानी । लगान 55 पैसे वाल मुताबिक खतौनी 1408 फसली लगायत 1413 फसली की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार हम विक्रेतागण आराजी मज़कूराबाला विक्रीत कुल के एकमात्र हैसियत श्रेणी (1क) संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील चले आते हैं। और हमारा नाम कागजातसरकारी देहा में बहैसियत स्वामी के दर्ज चला आता है

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

मदीय स्टाम्प
20 JUN 2005
कोषाधिकारी, आगरा
TRY

04DD 069370

हमारे सिवाय अन्य कोई साझी व हिस्सेदार किसी प्रकार का आराजी मज़कूरा-बाला बिक्रीशुदा में नहीं है कि जो नाते किसी तरह के इन्तकाल वगैरा का होवे और जो आज तक हर तरह के कर्जे व बार व दावे व झगड़े व रहन व बै व हिबै व मुआहिदा बै व कब्जे व हक व वार्ड व इन्तकाल व एक्यूजीशन व एक्यूजेशन मोरगेज व जमानत व कुर्की व नालिश व नीलाम व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई मुबर्रा पाक व साफ है कि जिसका विक्रय करना हमारे अपनी अपनी के व मिलते माकूल व सर्वाधिक कीमत के स्वीकार है जिसकी बाबत क्रेता हमारा है कि जिसको क्रेता एक माकूल कीमत अदा कर क्रय करने को रजामन्द है।

लिहाजा हम विक्रेतागण अपनी-अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दबाव किसी नाजायज के स्वस्थचित्त मन बुद्धि व

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

प्रदीप शर्मा
20 ...
कोषाधिकारी, आगरा
TRY

04DD 069371

इन्द्राज के आराजी मजकूरा [illegible] कुल कीमत [illegible] के बराबर मुबलिग 5,50,000/- पाँच लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके मुबलिग 2,75,000/ दो लाख पिचहत्तर हजार रुपया होते हैं बदस्त - डुल्कान फिल्डकोन प्रा०लि० रजि० कार्यालय करौल बाग नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यशवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी गणेश नगर फाउण्डरीनगर आगरा क्रेता उक्त को पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व सहित विक्रय करदी की और बेच दी और कीमत का कुल धन मुबलिग 5,50,000/- पाँच लाख पचास हजार रुपया हम विक्रेतागणों ने क्रेता उक्त से इस प्रकार प्राप्त कर लिये कि मुबलिग 50,000/- रुपया पहले ही प्राप्त कर लिये व मुबलिग 5,00,000/- रुपया द्वारा चैक नम्बरी 643005 व 643006 व 643007 व 643008 व 643009 समस्त दिनांकित 21-6-2006 ई० कि जो समस्त मुबलिग 1,00,000/- रुपया का प्रत्येक है, केनरा बैंक कमलानगर शाखा आगरा के है, के द्वारा विधिक भुगतान हो जाने के पश्चात प्राप्त कर लिये हैं । इस प्रकार अब हम विक्रेतागणों की खरीदार उक्त से कीमत में कुछ पाना बाकी नहीं रहा है और न आइंदा होगा ।

[illegible] सिंह हरदीप सिंह रणजीत सिंह [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 069372

कोषाधिकारी, आगरा

लिहाजा कब्जा व दखल आराजी मुबैया विक्रीत कुल में हम विक्रेतागणों ने बहैसियत स्वामी के खरीदार को करा दिया और उन्हें मालिक काबिज व दखील बना दिया । अब खरीदार को आज से हक व अधिकार है कि वह आराजी मुबैया विक्रीत कुल में बहैसियत स्वामी के चाहें जिस प्रकार से लाभ उठावें उसमें कृषि कार्य करें या रहन व बै व हिबै व मुआहिदा बै आदि आदि जो चाहें सो करें और अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी देहा में जरिये बैनामा हाजा बहैसियत स्वामी के दर्ज करावें इसके लिये अन्य किसी सहमति व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

अगर तादाजुलहाल कोई वारिस या दावेदार जैली या खानदानी कानूनी या आइन्दानी या दीगर कोई शिकायतकर्ता किसी तरह का पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा खरीदार उक्त से करे या उसके स्थापित्व अधिकारों व कब्जे में बाधा डाले या किसी दीगर वजह से कब्जा जुज या कुल खरीदार से निकल जावे या किसी को कोई रकम अदा करनी पड़े या बैनामा हाजा में कोई कानूनी कमी

0400 069373

पाई जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी जवाबदेही व जिम्मेदारी तनहा हम विक्रेतागणों की व वारिसान व कायम मुकामान हमारों की है और होगी । उस सूरत में खरीदार को अधिकार होगा कि वह कुल जरे समन अपना मय सूद हरजा व खर्चा आदि सहित हम विक्रेतागणों की जात खास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म से चाहे जिस प्रकार से वसूल करले कुछ उजर न होगा । आराजी मुबैया विक्रीत कुल की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और नाहीं किसी वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गई है जिसकी बाबत हम विक्रेतागणों ने किसी प्रकार का कोई मुआवजा आदि प्राप्त नहीं किया है । आराजी मुबैया कुल के विक्रय होने में क्रेता व विक्रेतागण अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं है ।

INDIA NON JUDICIAL

500रु Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

JUN 200

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधि0 की धारा 27 [illegible] लेखपत्र में यह घोषणा करता हूँ कि ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो स्टाम्पशुल्क को प्रभावित कर सकते हैं पूर्णतया सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं ।

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । तहरीर तारीख 21-6-2005 ई० मसौदा सुरेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज लेखक निवासी 35/141, मौहल्ला गोडामण्डी [illegible] आगरा व टाईपकर्ता धीरेन्द्र कुमार गोयल सदर तहसील आगरा । दस्तावेज हाजा नक्शाजात के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर दर्ज किया गया ।

गवाह सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह
निवासी बसैली कहीर आगरा

गवाह [illegible] पुत्र श्री [illegible] पाल
निवासी [illegible] आगरा

लेखक का नाम-सुरेश चन्द्र अग्रवाल
लाईसेंस नं० [illegible] मान्य तिथि 31-3-2006
पता- [illegible] आगरा
लेखन शुल्क 500/- हस्ताक्षर

OFFICE OF ... AGRA

बही नं. 1 जिल्द नं. 901 पृष्ठ 242 से 264
क्रमांक 3176
रजिस्ट्री की गई 21/6/05
उप निबंधक

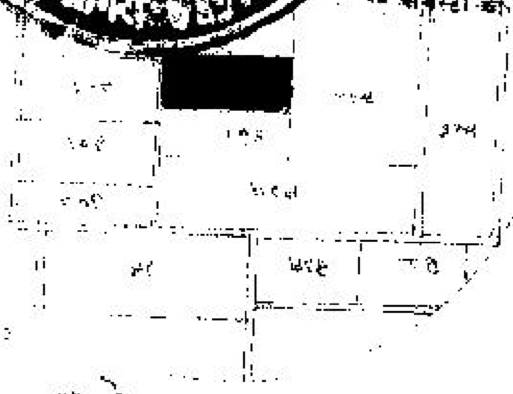

[redacted]

स्टाम्प विक्रय की तिथि 2946 21/6/05

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मुरादाबाद मिल्कफ़ोम प्रा० लि० 2940

स्टाम्प का धारा 30/-

संजय अग्रवाल
लाइसेन्स न० 1
ला० की अवधि 31 मार्च 2006
सदर तहसील, आगरा

बही नं० 1 जिल्द नं० 901 के पृष्ठ सं० 247/264
पर नम्बर 2176 आज दिनांक 21/6/05
को रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक द्वितीय
आगरा

475/06-05

30/6/05